

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. श्री पप्पूसिंह पुत्र लूणकरण जाति राजपूत निवासी आगरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

- वादी

बनाम

1. तहसीलदार (भूमिधारी) नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर 550/2025

जीसीएमएस नं० 2025/1156


आदेश

दिनांक - 11/09/2025

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम आगरी तहसील, नीमकाथाना के भूमि खाता संख्या 186 में वादी की बुआजी का गलत दर्ज नाम "उम्मेदकंवर पुत्र भंवरसिंह" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "उम्मेदकंवर पुत्री भंवरसिंह" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

उक्त आदेश में हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।




(राजवीर सिंह यादव)

उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)



डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना (सीकर)

बड़जलास राजवीर सिंह यादव R.A.S.

1. श्री पप्पूसिंह पुत्र लूणकरण जाति राजपूत निवासी आगरी तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-वादी

बनाम

1. तहसीलदार (भूमिधारी) नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

-प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा व दुरुस्ती रिकार्ड

मुकदमा नं. 550 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस व हाजिरी वादी स्वयं मिनजानिब मुद्ई रुबरू मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम आगरी तहसील नीमकाथाना के खाता संख्या 186 में वादी की बुआजी का गलत दर्ज नाम "उम्मेदकंवर पुत्र भंवरसिंह" के स्थान पर सही एवं वास्तविक नाम "उम्मेदकंवर पुत्री भंवरसिंह" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना आदेश का भाग रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो

निज..... मुबलिंग..... बाबत..... खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.....

फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तकका अदा करें।

बसवत मे दस्तखत मुहर अदालत के आज तारीख 11 माह 09 सन् 2025 को जारी की गई।



मुहर

दस्तखत.....

ओहदा.....

मुकदमा नं. 550 सन् 2025	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।